Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 8 | ISSUE : 2 | FEBRUARY 2022

सामाजिक समरसता और डॉ. अम्बेडकर

डॉ.विद्यासागर शर्मा [1]

[1] **प्राचार्य, दादा पम्मा राम गर्ल्स पीजी कॉलेज, श्री विजयनगर.**

ABSTRACT:

-

KEYWORDS:

-

सामाजिक समरसता का अर्थ है. सभी को अपने समान समझना। जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता को दूर कर लोगों में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द बढ़ाना तथा समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के मध्य एकता स्थापित करना ही सामाजिक समरसता है। सामाजिक एकता एवं समरसता से समाज के लोगों में एकजुटता आती हैं और सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। इससे वहां के लोगों में समाज के प्रति सेवाए सहयोग एवं समर्पण का भाव विकसित होता है तो वह देश बहुत तेजी से विकास करता है।

हमारे यहां प्राचीन काल से ही समरसता और एकात्मकता के तत्त्व मिल जाते हैं। वेदों में ऋषियों ने सामाजिक समरसता पर चिंतन किया है। वेद किसी एक व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पन्थ, देश आदि के लिये नहीं, अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिये मार्ग प्रशस्त करता है। वेदों का उद्घोष है:-

यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम्।

अर्थात् वेद एक ऐसा घोंसला है जिसमें संपूर्ण विश्व एकजुटता से रहता है।

इसी प्रकार वेद कहता है कि मानव पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति, लता.गुल्म, औषध, अन्नादि सब में वही ब्रह्म व्याप्त हैए तथा सब ब्रह्ममय है। अतएव उपनिषदों में यह कहा गया है:-

सर्वं खल्विदं ब्रह्मम्

अर्थात् सब ब्रह्म ही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा संसार के प्रत्येक सूक्ष्म एवं स्थूल तत्त्वों में व्याप्त है। जब वह सब जगह व्याप्त है ही, तो फिर ऊंच.नीच का भेद कहां रह जाता हैघ्

सामाजिक समरसता को परिभाषित करते हुए अशोक रामटेके कहते हैं:-

सामाजिक समरसता मतलब मानवता। मानवता मतलब मानवीय समाज में स्थित मनुष्य का मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना, उसे ही सामाजिक समरसता कहा जाता है।

इसी प्रकार सदाशिव देवधर यह मानते हैं कि:-

सामाजिक समरसता हृदय से हृदय को जोड़नेवाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है।

मराठी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और लोकसाहित्य के अभ्यासक डॉण् प्रभाकर मांडे जी ने समरसता का सम्बन्ध लोकसंस्कृति के साथ कर, समरसता को बहुत ही कम शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके मतानुसारः-

समरसता भारतीय लोकसंस्कृति का आत्मतत्त्व है।

संविधान और कानून व्यक्ति तथा समाज को समानता या समता का अधिकार देता है। लेकिन समानता के अधिकार के बावजूद व्यक्ति.व्यक्ति के भीतर का मनोमालिन्य मिट नहीं सकता।

ऊपरी तौर पर देखने में समता और समरसता यह दोनों शब्द पर्यायवाची लगते हैं परन्तु ऐसा नहीं है। ये दोनों अवधारणाएँ परस्परावलम्बी हैं परन्तु दोनों का मतितार्थ अलग है। मराठी के एक प्रसिद्ध आलोचक डॉ. बाळकृष्ण कवठेकर इस संबंध में कहते हैं:-

समरसता की अवधारणा में समता अपेक्षित ही है परन्तु केवल समता मतलब समरसता, ऐसा नहीं। समता की अवधारणा केवल भौतिक अस्तित्व का ही अवसरों का ही विचार करती है। समरसता की अवधारणा भौतिक अवसरों के सिवाय, मनोमिलन से होने वाली एकात्मता अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। समता की अवधारणा में अधिकारों का एहसास है, समरसता की अवधारणा कर्तव्य भाव का एहसास जगाने वाली है।

समाज में अधिकतर लोग डॉ. अंबेडकर को केवल भारत के सविंधान निर्माता के रूप में जानते हैं और कुछ लोग उन्हें एक दलित नेता के रूप में, परन्तु यह उनका पूरा परिचय नहीं है, वास्तव में वे एक लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, मानवविज्ञानी, दर्शनशास्त्री, धार्मिक, प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक और राष्ट्रभक्त थे। वे समरसतावादी थे, स्वयं को उन्होंने बंधुत्ववादी कहते हुए बोला है.

मेरे तत्त्वज्ञान के स्रोत राजनीति में नहीं बल्कि धर्मशास्त्र में निहित हैं, अपने गुरु गौतम बुद्ध के उद्देश्यों में से मैंने वह ग्रहण किए हैं। मेरे तत्त्वज्ञान में स्वतंत्रता और समता का बहुत ज्यादा महत्त्व है लेकिन मेरा यह मानना है कि अपरिचित स्वतंत्रता से समता का नाश होता है और अतिरिक्त समानता स्वतंत्रता को निर्बल बनाती है। मेरे तत्त्वज्ञान में स्वतंत्रता और समानता की सीमाओं का उल्लंघन न हो इसलिए सुरक्षा हेतु निर्बन्धों का स्थान है परन्तु निर्बन्ध स्वतंत्रता और समता सम्बन्धी होनेवाले उल्लंघन को स्थायित्व नहीं देता है। इस कारण मेरे तत्त्वज्ञान में बन्धुता का अति उच्च स्थान है। स्वतंत्रता और समता इनके विरुद्ध संरक्षण केवल बन्धुत्व भाव ही कर सकता है। इसी का दूसरा नाम मानवता है।

डॉ. अम्बेडकर का जन्म उस समय हुआ जब अस्पृश्यता का बोलबाला था। दलित समाज घृणा अपमान, गरीबी व अभावों का जीवन जी रहा था। उन्होंने भारतीय समाज के इस शोषण को उजागर किया तथा सामाजिकता समानता की प्राप्ति हेतु निरन्तर संघर्ष किया। उन्होंने जातिवादी एवं यथास्थितिवादी वर्ग व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया।

बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमा बाई था। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति का मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव भी सहन करना पड़ता था। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआ.छूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की बजाय आंबडवेकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोंकण के अंबाडवे गांव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम आंबडवेकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया। बाबासाहब से

कृष्णा महादेव अम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से ष्अंबाडवेकरष् हटाकर उसमें अपना उपनाम अम्बेडकर जोड़ दिया।

अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अन्यायपूर्वक मानते हुए प्रबल विरोध किया। उनके अनुसार ब्राह्मणों और शूद्र शासकों में अन्तर्द्वन्द्व के कारण शूद्रों का जन्म हुआ, जबकि प्रारम्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्ण ही हुआ करते थे। शनैः शनैः ब्राह्मणवाद का समाज में वर्चस्व स्थापित हो गया। उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अस्पृश्यता के बने रहने के पीछे कोई तार्किक, सामाजिक अथवा व्यावसायिक आधार नहीं है। उनका मानना था कि यदि हिन्दू समाज का उत्थान करना है तो अस्पृश्यता का जड़ से निराकरण आवश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर ने मूल वर्णव्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने भारतीय ; हिन्दू समाज व्यवस्था में ही दोष बताए तथा जातिव्यवस्था का घोर विरोध किया। हिन्दू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन की माँग की। दलित वर्गों को संगठितए जागरूक एवं शिक्षित करने हेतु पुरजोर प्रयास किए। हिन्दू समाज संगठन का मूल आधार वर्णव्यवस्था ही है। डॉ.अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा.

मेरे लिए यह चातुर्वर्ण्य, जिसमें पुराने नाम रखे गए हैं, घिनौनी वस्तु है, जिससे मेरा पूरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है, यह चातुर्वर्ण्य सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यावहारिक, घातक और अत्यन्त असफल रहा है।

शूद्र शब्द वेदों से आया है। जहां इसको वर्ण की संज्ञा के रूप में ग्रहण किया है जहां इसको निम्न या अपवित्र के अर्थ में नहीं लिया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शुच् दीप्ती धातु में रक् प्रत्यय करने से शूद्र शब्द बनता है जिसका अर्थ पवित्रीकरण का आरम्भस्थल मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि पैर जल से आर्द्र होने पर पवित्र होता है, अन्यथा अपवित्र है। इसलिये शूद्र शब्द बाद में अपवित्रता का वाचक बन गया।

धर्मशास्त्रों में कहा गया है. जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते।

अर्थात् जन्म से सभी मनुष्य असंस्कृत होने के कारण शूद्र है, जब उसका संस्कार किया जाता है तब वह द्विज अर्थात् द्वितीय जन्म को प्राप्त करता है। तब, शूद्र कर्म आधारित व्यवस्था थी, जो बाद में जन्म आधारित जाति में परिवर्तित हो गयी। डॉ. अम्बेडकर ने लोगों में चेतना जाग्रत कर एवं जाति के निराकरण के लिए विभिन्न आन्दोलन व कार्य किए। जातिगत भेदभाव हटाने और अश्पृश्यता को मिटाने से ही समाज में बंधुत्व भाव का निर्मित होता है। इस बन्धुत्व भाव के सम्बन्ध में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अत्यन्त गहन चिन्तन किया। 25 नवम्बरए 1947 को दिल्ली में बोलते समय डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहाः-

हम बन्धुत्व भाव के तत्त्व का पालन प्रत्यक्ष आचरण में नहीं करते। यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम भारतीय परस्पर एक.दूसरे के भाई-भाई हैं। सभी भारतीयों में परस्पर प्रेम और अपनत्व के सम्बन्ध हैं, ऐसा जब मन में भाव होता है तब उसे ही बन्धुत्व के नाम से जाना जाता है। सामाजिक जीवन में एकता का अमृत सिंचन करने वाला तत्त्व बन्धुत्व भाव है। प्रतिदिन के व्यवहार में इसका अनुसरण करना नितान्त कठिन कार्य है। भारत में अनेक जातियाँ विद्यमान हैं। ये जातियाँ एक अर्थ से देश-विधातक हैं। इसका कारण यह माना जाता है कि ये जातियाँ सामाजिक जीवन में द्वेष उत्पन्न करती हैं। जाति देश-विघातक होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि ये जातियाँ परस्पर एक-दूसरे में मत्सर-घृणा का भाव निर्मित करती हैं। इनके रहते राष्ट्र-निर्माण की संकल्पना में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होंगी। इसलिए राष्ट्र के निर्माण हेतु इस जाति भावना का समूह उच्चाटन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जहाँ राष्ट्र होता है वहीं बन्धुत्व का भाव होता है। बन्धुत्व का भाव यदि नहीं है तो वहाँ समता और स्वतंत्रता का कोई अर्थ शेष नहीं रहता।

श्री रमेश पतंगे जी ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने इस बन्धुत्व भाव को अपने तत्त्वज्ञान का सार तत्त्व मानते हुए इसे समरसता बताया है। उनके मतानुसारः-

समरसता से तात्पर्य बन्धुत्व भाव ही है। जैसा वह वैसा मैं, ऐसा माननेवालों की मानसिक अवस्था का नाम ही समरसता है।

डॉ. अम्बेड़कर ने देश में नागरिकों के लिए संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्वों की आयोजना अनुच्छेद. 14 से 32 तक रखी। सामाजिक समरसता के लिए भारतीय संविधान की धारा.15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को कानूनी अपराध घोषित किया, अनुच्छदे. 17 में अस्पृश्यता का अन्त किया गया। संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत डॉण् अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिला दी, जबकि इससे पूर्व मजदूरों को जमींदारों के सामने, दलितों का सवर्णों के सामने, नौकर का अपने मालिक के समक्ष व स्त्रियों का पुरूषों के सामने बोलना भी अपराध माना जाता था।

डॉ. अम्बेड़कर ने संविधान की धारा 23 के अनुसार शोषण के विरूद्ध अधिकार बनाया। इससे पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब निम्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था। संविधान की धारा 24 के अन्तर्गत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम पर नहीं लगाया जा सकता। संविधान की धारा 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के सभी बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का कानून बना दियाए जिससे देश के शैक्षणिक स्तर में सुधार हो सके।

डॉ. अम्बेडकर शासन में संसदीय प्रजातन्त्र के जबरदस्त समर्थक थे। उनका मानना था कि संसदीय प्रजातन्त्र में कार्यपालिका को जनमत के प्रति निरन्तर संवेदनशील रहना होता है। लोकतन्त्र आदर्श तभी बन सकता है जबकि सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन कर दिया जाये तथा सभी व्यक्ति समान रूप से विधि के संरक्षणों से लाभान्वित होने की स्थिति में आ जाएं। प्रजातंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था कायम हो, जिसमें सभी धर्मोंए जातियों तथा प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त होए जिसके द्वारा देश का विकास एव प्रगति संभव हो सके।

डॉ. अम्बेडकर ने स्त्री उत्थान सम्बन्धी प्रयासों में समता के सिद्धान्त को महत्त्व दिया। उनका मत ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें आदर्श, न्यायपूर्ण, स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व की भावना हो तथा स्त्री जाति का भी उत्थान हो सके। स्त्रियों की दुरवस्था का उन्होंने घोर विरोध किया। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री.पुरुष समानता का समर्थन किया।

डॉ. अम्बेड़कर ने देश की एकता को बनाए रखने के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलवायी। हिंदी ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में सभी देशवासियों को जोड़ने के कार्य में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने 14 अक्टूबर, 1948 को भाषाई राज्यों की मांग पर बने आयोग के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन में कहा किः-

भाषाई राज्य बनाने में कोई खतरा नहीं है। खतरा तो भाषा का राज्य बनाकर हर राज्य की सरकारी राजभाषा बनाने में है। किसी प्रांत की भाषा को राजभाषा बनाने पर प्रांतीय राष्ट्रवाद बन जाएगा। हर राज्य की सरकारी राजभाषा प्रांतीय भाषा होने पर भारत एक संघ रहने की बजाय यूरोप की तरह टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए सभी राज्यों की हिन्दी राष्ट्रभाषा राज्य व्यवहार के रूप में स्वीकार की जाए।

अम्बेडकर का विश्वास था कि दलितों के उत्थान में केवल उच्च वर्णों की सहानुभूति और सद्भावना ही पर्याप्त नहीं है। उनका मत था कि दलितों का तो वास्तव में तब उत्थान होगा जब वे स्वयं सक्रिय तथा जाग्रत होंगे। इसलिये उन्होंने घोषणा की कि शिक्षित बनो, आन्दोलन चलाओ और संगठित रहो। शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें इस बात का आभास होगा कि विश्व कितना प्रगतिशील है तथा वे कितने पिछड़े हुए है। अम्बेडकर दलितों में शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं अपितु अनौपचारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आधुनिक भारत की स्थापना में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था। डॉण् अंबेडकर को समानता का प्रतीक कहा जाता है। अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्योंए दलितों तथा शोषित वर्ग के उत्थान का दर्शन झलकता है। वे एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भातृत्व के तत्त्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों। डॉण् अम्बेडकर ने ऐसे श्रेष्ठ संविधान की रचना में सहयोग दिया, जिससे बहुजन हितायए बहुजन सुखाय के सिद्धान्त का लागू होता है। गांधी जी की भांति अम्बेडकर वैयक्तिक सामाजिक उन्नयन के पक्षधर रहे। वे मानते थे.

- हजार टन शब्द की अपेक्षा एक तोला आचरण अधिक अच्छा है।

आधुनिक भारत की स्थापना में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था। डॉ. अंबेडकर ने अपना संघर्ष जाति व्यवस्था के विरुद्ध प्रारंभ किया। शिक्षा और अनुभव ने उन्हें पूरे समाज की समानता पर कार्य करने की अग्रसर किया। इसलिए उनकी सोच तथा कार्यों से समग्र समाज के विकास का चिंतन मिलता है। वे जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास और सामाजिक

समरसता पर ज्यादा बल देते दिख जाते हैं। यही कारण कि डॉ. अम्बेडकर ने आरक्षण केवल अनुसूचित जाति के लिए ही नहीं पिछड़ी जातियों के लिए लागू किया और वह भी केवल 10 साल के लिए। बाबासाहब को ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर से विशेष स्नेह के चलते उपनाम अम्बेडकर मिला। उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई के देहांत के बाद शारदा कबीर नामक ब्राह्मण महिला से विवाह किया। शारदा कबीर ने विवाहोपरांत अपना नाम सविता अम्बेडकर रखा। ब्राह्मण शिक्षक, ब्राह्मण पत्नी, महाराज से वजीफा प्राप्त करना, आरक्षण पिछड़ी जाति और स्त्रियों के लिए भी लागू करवाना, बालकों के लिए कारखाने में काम करने की मनाही, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाना आदि कार्य डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक समरसता को प्रदर्शित करते हैं। अंबेडकर की इस सामाजिक समरसता पर डॉ. ईश्वर नन्दापुरे अपने विचार रखते हुए कहते हैं:-

धर्मग्रन्थ के आधार पर मनुष्य.मनुष्य के भिन्न.भिन्न स्तर निर्माण कर इन स्तरों को जाति के नाम पर विभाजित करने वाली तमाम व्यवस्था को विनष्ट कर उसमें से नए मनुष्यत्व का समर्थन कर मानवतावाद का जयघोष करनेवाले विचारों की देन हमें बाबा साहेब से ही मिली है।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों की वर्तमान समय में भी उपयोगिता है। वर्तमान कालखंड में मनुष्य को जातिए धर्म, लिंग, भूप्रदेश आदि के आधार पर टुकड़ों में बाँटकर विभाजित किया जा रहा है। इससे समाज तथा देश में भी परस्पर एक. दूसरे के प्रति स्नेह भाव पनपने के बदले राग, द्वेष और वैमनस्य के भाव विकसित हो रहे हैं। आज सम्पूर्ण देश में स्थित लोगों को वैयक्तिक पारिवारिक स्तर पर समरस होने की जैसी आवश्यकता है, वैसी ही सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक आदि स्तरों पर भी मनुष्य को समरस होने की आज नितान्त आवश्यकता है। समरसता के मुख्य तत्त्वचिन्तक तथा समरसता मंच, महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यवाह श्री रमेश महाजन इसी विषय पर कहते हैं:-

वर्तमानकालीन समाज की दृष्टि से समरसता का प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस समाज में समरसता पनपे, इसके लिए समाज को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि समरसता लाने के लिए सबसे पहले लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना अत्यावश्यक है। मानसिक परिवर्तन हेतु वैचारिक उद्बोधन सेवाकार्य, समन्वय और जहाँ अत्यावश्यक हो वहाँ संघर्ष करने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्षः-

डॉ. अम्बेडकर तत्कालीन भारत के राष्ट्रीय जीवन के अति महत्त्वपूर्ण पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता, समता एवं बन्धुत्व को स्थान दिया। संविधान की रचना के लिए भारत सदैव डॉ. भीमराव अम्बेड़कर का ऋणी रहेगा। डॉ. अम्बेड़कर ने समाज के सभी वर्गों के लिए समानता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने पिछड़ें, दलित, आदिवासियों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के हितों, अधिकारों को संविधान में लिखित रूप में लिपिबद्ध किया। उन्होंने देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलवायी। उनके विचार सामाजिक समानता, समरसता, देश सेवा के साथ.साथ एक स्वस्थ लोकतंत्र, देश व समाज के विकास के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेंगे।

REFERENCES

1. शुक्ल यजुर्वेद 32;8

2. छान्दोग्य उपनिषद 3:14:1. सामवेद

3. अशोक रामटेके . सामाजिक समरसता दर्शन, पृष्ठ 48

4. सदाशिव देवधर . सामाजिक समरसता व अभाविप, पृष्ठ 01

5. डॉ. बाळकृष्ण कवठेकर . लोकसंस्कृति आणि सामाजिक समरसता; आलेखः- संपादक डॉ. प्रभाकर मांडे, समरसतेची दशपदी, पृष्ठ 64

6. वही, प्रस्तावना, पृष्ठ 17

7. प्रो. रमेश पतंगे -डॉ. अंबेडकर साहित्य समरसता विचार ;आलेखः, संपादक प्रो. श्याम अत्रे, समरसता एक साहित्यिक मूल्य, पृष्ठ 44

8. सं. डॉ. एस. ए. कानडजे, प्रो. ए. आर. सिरसाट, डॉ. पी. एल. सोनटक्के - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय. खंड संकल्प. भाग 1, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993ए पृष्ठ 81

9. स्कंदपुराण श्लोक 6.1.239.31

10. डॉण् सुनील बाबूराव कुलकर्णी; संपा.:. भारतीय भक्ति साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक समरसता ; 2016:, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ 72

11. वही, पृष्ठ 71

12. सुभाष कश्यप. हमारा संविधान; 2015:, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 75.80

13. डॉ. एम. एल. परिहार. बाबा साहेब अम्बेड़कर लाइफ एण्ड मिशन; 2017, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 281

14. रामजी सिंह. गांधी विचार दर्शन, धर्म, राजनीति और अर्थनीति; 1995, मानक पब्लिकेशंस प्रा. लि., दिल्ली, पृष्ठ 43

15. डॉ. ईश्वर नंदापुरे. समरसता साहित्य: संकल्पना प्रेरणा स्वरूप, पृष्ठ 71.72

16. प्रो. रमेश महाजन. सामाजिक समरसता मंचः व्याप्ति और वाटचाल, पृष्ठ 03